संख्या– 209 प0अ0 / 2004–356 पर्य0 / 2002

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग– देहरादून:दिनांक 25 मार्च, 2004

विषय–जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखण्ड के अन्तर्गत हिमालयन ट्रैकर्स समिति सांकरी, उत्तरकाशी को साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–589 / 2–6–367 / 2003 दिनॉक 18 मार्च, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखण्ड के अन्तर्गत हिमालयन ट्रैकर्स समिति सांकरी, उत्तरकाशी को साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान के रूप में रू0 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तो के अधीन आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है। इसे आगामी वर्ष के लिये अनुदान हेतु दृष्टान्त न माना जाय। पर्यटन विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विशिष्ट विभागीय / अन्य अतिथियों को ट्रैकिंग आदि की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित होगी। अपने क्षेत्र में आने वाली ट्रैकिंग दलों / व्यक्तियों की सांख्यिकी भी संस्था द्वारा पर्यटन विभाग को समय–समय पर उपलब्ध कराई जाने की अपेक्षा है।

3– इस अनुदान से स्वीकृत उपरकणों का स्थल निरीक्षण व भौतिक सत्यापन जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा।

4–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– व्यय करने के उपरांत उक्त धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संवर्द्धन तथा प्रचार–13–पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता की मानक मद के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–3314/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 24 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–356 पर्य/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4– निदेशक, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
6– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8– वित्त अनुभाग–3।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।